न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस संख्या 2022/158

1. महिपाल पुत्र बद्रीनारायण
2. मोहनलाल पुत्र बद्रीनारायण
3. रामेश्वरपुत्र बद्रीनारायण
4. सीताराम पुत्र बद्रीनारायण

समस्त जाति जाट निवासी ग्राम लेटकाबास विराटनगर जिला जयपुर।

—अपीलांट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार विराटनगर जिला जयपुर।

—रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 22.07.2021 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर जिला जयपुर मुकदमा संख्या 04/2021 उनवानी सरकार बनाम भूराराम व अन्य।

उपस्थित—

1. श्री बंशीधर जाट वकील अपीलान्ट।
2. राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 की ओर से।

निर्णय

दिनांक—14.07.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर जिला जयपुर हाल जिला कोटपूतली—बहरोड राजस्थान के निर्णय दिनांक 22.07.2021 के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा—5 एवं प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. के साथ प्रस्तुत हुई है।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

2. प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वाके ग्राम चतरपुरा तहसील विराटनगर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 696/236/0.0150 में से 0.0150 है0, 210/0.86 में से 0.86 है0, 200/3.32 में से 0.09 है0, 201/1.36 में से 0.09 है0, 158/7.53 में से 0.24 है0, 142/4.18 में से 0.04 है0, 159/0.90 में से 0.08 है0, 155/0.60 में से 0.02 है0, 162/1.81 में से 0.04 है0, 154/0.44 में से 0.04 है0, 163/1.82 में से 0.04 है0, 153/0.50 में से 0.03 है0 भूमि के संबंध में तहसीलदार विराटनगर द्वारा राजस्व रिकार्ड मे किस्म रास्ता परिवर्तन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर जिला जयपुर द्वारा भूमि की किस्म राजस्व रिकॉर्ड में गैर मु0 रास्ता दर्ज करने के आदेश दिनांक 22.07.2021 को दिये गये।

3. उपखण्ड अधिकारी विराटनगर जिला जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 22.07.2021 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील

स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर जिला जयपुर दिनांक 22.07.2021 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता व राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि वाके ग्राम चतरपुरा तहसील विराटनगर जिला जयपुर स्थित आराजी खसरा नम्बर 162, 163 के अपीलांट्स काबिज रिकार्डेड खातेदार हैं। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण संख्या 4/2021 दर्ज किया गया जो अलग–अलग तीन राजस्व ग्रामों के रास्ते के बाबत् प्रस्तुत किया गया जबकि एक रास्ते के बाबत् एक ही प्रकरण दर्ज किया जाना चाहिए था। जो कि निरस्तनीय है। फर्द मौका रिपोर्ट में भी यह स्पष्ट नहीं है कि अपीलांट की भूमि में रास्ता चालू है। मौका रिपोर्ट पर सरपंच, विकास अधिकारी आदि के हस्ताक्षर कराये गये हैं परन्तु हल्का पटवारी व तहसीलदार के हस्ताक्षर नहीं है। उक्त हस्ताक्षर किस दिन कराये गये है अंकित नहीं है तथा संलग्न जमाबंदी दिनांक 03.02.2021 को जारी की गई है जबकि मौका रिपोर्ट दिनांक 27.01.2021 को ही तैयार कर दी गई जो कि गलत तरीके से बिना मौके पर गये तैयार की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को बिना कोई नोटिस एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही एक पक्षीय रूप से राजस्व रिकार्ड व नक्शे में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने का जो एक पक्षीय रूप से आदेश पारित किया है, वह पूर्णतया एकपक्षीय, क्षेत्राधिकार–विहीन एवं न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। उक्त अपीलार्थी की खातेदारी कृषि भूमि में से किसी भी तरह का कोई आम रास्ता या सडक नहीं है। आमजन के आवागमन हेतु अपीलार्थी की उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बरान् से किसी भी प्रकार का कोई रास्ता ना तो राजस्व रिकार्ड में व ना ही मौके पर अवस्थित है। पटवारी हल्का द्वारा बिना मौके की जांच तैयार की गई एक पक्षीय निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट की खातेदारी में से नया रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रास्ते के संबंध में कोई विधिक प्रक्रिया का कोई पालन किया गया। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 131–132 तथा भू–राजस्व नियम 58 से 60 के अंतर्गत प्रचलित रास्तों को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतु कहीं भी यह प्रावधान नहीं है कि उक्त कार्यवाही के समय खातेदार को बिना सुने उनकी खातेदारी भूमि में गैर मु0 रास्ता दर्ज कर दिया जावे। प्रार्थी की भूमि में कभी कोई रास्ता नही रहा न मौके पर कोई रास्ता है। पटवारी हल्का ने बिना मौका पर गए रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत की है एवं मौके रिपोर्ट बनाने बाबत कोई नोटिस नहीं दिया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त समस्त तथ्यों की जॉच व अवलोकन किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित करने में कानूनी गलती की है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी विराटनगर जिला जयपुर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड दिनांक 22.07.2021 निरस्त किया जावे।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

6. राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि फर्द मौका रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि प्रस्तावित रास्ता मौके पर चालू एवं स्थाई प्रकृति का है एवं आवागमन हेतु काम आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार व पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट के आधार पर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी, भू–अभिलेख निरीक्षक एवं तहसीलदार अभिशंसा के तहत् भू–राजस्व अधिनियम की धारा 131 व 132 एवं भू–राजस्व अभिलेख नियम 1957 के 58, 59,

60 व 86 के प्रावधानों व पहलुओं पर विचार कर विधिक प्रकिया के तहत ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी विराटनगर जिला जयपुर उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट्स खारिज की जावे।

7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। न्यायहित में अपीलाधीन आदेश की जानकारी देरी से प्राप्त होने से नरमी का रूख अपनाते हुये अपीलांट द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने पर हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। चूंकि अपीलांट्स प्रश्नगत आराजी खसरा नं. 162, 163 के रिकार्डेड खातेदार हैं। अतः प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकार अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर द्वारा पटवारी हल्का एवं तहसीलदार विराटनगर द्वारा राजस्व रिकार्ड मे किस्म रास्ता परिवर्तन हेतु प्रस्ताव/प्रार्थना पत्र के आधार पर ही राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 के प्रावधानानुसार भूमि की किस्म राजस्व रिकॉर्ड में गैर मु0 रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये गये हैं।पटवारी हल्का व भू0अ0 निरीक्षक की मौका रिपोर्ट दिनांक 27.01.2021 के अनुसार भी मौके पर उक्त रास्ता सार्वजनिक आम रास्ते के रूप मे काम आ रहा है एवं वर्तमान में आवाजाही चालू है। अतः इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि प्रश्नगत रास्ता कई खसरा नम्बरान् से होकर गुजर रहा है। तहसीलदार विराटनगर द्वारा प्रश्नगत रास्ता मौके पर चालू, आमजन के आने जाने हेतु उपलब्ध एवं राजस्व अभिलेख में स्थाई रूप से चालू रास्ते के अंकन की अभिशंसा की गई है। तहसीलदार विराटनगर द्वारा मौके पर प्रचलित रास्ता होने पर आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुये मौका अनुसार रास्ते का प्रस्ताव दिया गया हैं एवं उसी आधार पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर द्वारा विधिवत् सभी प्रभावित खातेदारान् को नोटिस जारी कर उक्त रास्ते की भूमि की किस्म राजस्व रिकॉर्ड में गैर मु0 रास्ता दर्ज करने के आदेश दिनांक 22.07.2021 को दिये गये हैं जो कि उचित एवं विधिसम्मत् है। अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि जाहिर नहीं होती है। अपीलाधीन आदेश में हम हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर जिला जयपुर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड का निर्णय दिनांक 22.07.2021 यथावत रखा जाता है।

(पूनम)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 14.07.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।